

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-05/18166.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 08/02/19

विषय :- माँग संख्या- 49 -जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-64/10-11, दिनांक-30.03.2011, 15/17-18, दिनांक 06.06.17, 40/15-16, दिनांक 16.12.2015 एवं 19/18-19, दिनांक 10.07.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796- जन- जातीय क्षेत्र उपयोजना/ 62 -मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49S470180796620545	800.00

आवंटित राशि - ₹ आठ करोड मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट उपबंध राशि रु 3400.00 लाख (चौतीस करोड) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट 1 के स्तंभ 6 में वर्णित) स्वीकृत कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

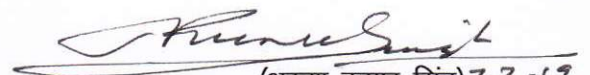
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु.-यथोक्त

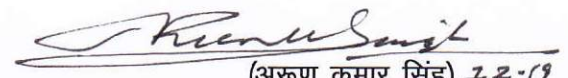

(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 166

राँची, दिनांक :- 08/02/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चाईबासा/प.सिंहभूम/बुण्डु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

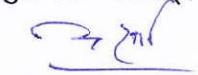

(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 166

राँची, दिनांक :- 08/02/19

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1


(अरुण कुमार सिंह) 7.2.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक..... 166

दिनांक 08/02/19

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगिता,

उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, 49S470180796620545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संशोधित बजट उपबध्द रु. 3400.00 लाख (चौतीस करोड) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल चार्डबासा (SGHARR008)	सैची	शुरू जलाशय योजना के अवशेष कार्य	9635.32	64/10-11 प्र.स्वी. दिनांक 30.03.2011 Online AA-1079 dt 10.08.18	4722.360	262.00	200.00	462.00	88436	
			सरायकेला जिला अंतर्गत दुगनी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु	9543.400	15/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-06.06.2017 Online AA-769 dt 09.06.17	0.580	150.00	300.00	450.00	88440	
योग							412.00	500.00	912.00		
2	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIR011)	सैची	काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन	8575.00	40/15-16 प्र.स्वी. दिनांक 16.12.15 एवं संशोधित प्र.स्वी. 19/2018-19 प्र.स्वी. दिनांक 10.07.2018 Online A.A.-870/12.07.18	0.00	1038.00	200.00	1338.00	88441	Restoration work of Adradith Branch Canal (from 11.277 km to 19.437 km) including lining under Kanchi Weir Irrigation Scheme
योग							1038.00	300.00	1338.00		
कुल योग							1450.00	800.00	2250.00		
आवंटित राशि - ₹ आठ करोड मात्र।											



(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव



(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

7.2.19